

कार्यालय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

वन विभाग, हरियाणा सरकार,

चौ-१४, वन भवन, सेक्टर ८, पंचकुला, कुरुगांव/फोकस +91 172 2563988, 2563881, E-mail: cfcpanchkula@gmail.com

कमांड़क: प्रशा-डी-टी-ए-४४८५/ 3530

दिनांक: ५-१-१९

राया में

वन संरक्षक, परिवहनी परिमण्डल
हिसार।

निष्पत्ति: Diversion of 2.574 ha. of forest land for laying of OFC by M/s Reliance Jio Infocomm Ltd; route Bhilwani to Village Dhanasri (via Jui Khurd, Badhra and Nandha) total length 67200 mtr., L/side, under forest division and District Bhilwani, Haryana
Online Proposal No. FPP/HR/Others/33339/2018
संदर्भ: अपका पत्र कमांड़क ८१६ दिनांक १२-७-२०१८।

कमांड़क जनकुला विधवा पर संवादीकृत पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार लक्ष्यान्तर मार्गी गई है।

१. लक्ष्यान्तर जारी आदेश कमांड़क १६७०-व-२-२०१६/८४३० दिनांक ८-५-२०१६ की अनुसूचित में प्रधान मुख्य वन विभाग, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय रेत पर इस प्रस्ताव का व्यानपूर्तक अध्ययन करने के पश्चात् विषयाकृत विधिवत् शर्तों पर प्रदान योग्य है।

१. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
२. इस केस में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
३. प्रयोक्ता एजेन्सी रथानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पोषाकरण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की मालना करेगा।
४. यह ३००एकड़ी० वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ विछाई जाएगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पुनर ल्पापित की जाएगी।
५. प्रयोक्ता एजेन्सी किसी भी प्रकार की वन संधारणा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी।
६. प्रयोक्ता एजेन्सी किसी भी प्रकार के रथा-रथावरण के कार्यों के लिए वन विभाग के रथानीय अधिकारी को अनुमति प्राप्त करेगी।
७. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव ने दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं दिया जाएगा।
८. यह कार्य इस रथीकृति पत्र के जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा।
९. यह स्वीकृति अन्य सम्बंधित जनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव योग्य है।
१०. ट्रैच (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक तरह गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
११. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान या तन्त्र प्राणी विहार सेवाएं में लागू नहीं होगी।
१२. इस अधिकृति को किसी भी सामय रथगति/उद्दृढ़ किया जा सकता है यदि उपस्थित शर्तों में से किसी



अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एक०सी०० व कम्प्युटर)
वर्ती प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला।

१. अपका प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैन्ट्रीय), मारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
२. वन मण्डल अधिकारी, निवानी।
३. M/s Reliance Jio Infocomm Ltd., Mohali।

दृष्टिकोण: ३१०४ दिनांक: ८/१/१९
संभव दृष्टिकोण वेतन दृष्टिकोण दृष्टिकोण

१६६७